

पूर्व मध्य रेलवे
मध्य रेलवे

पूर्व मध्य रेलवे
East Central Railway, Railway

EAST CENTRAL RAILWAY
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक / कार्मिक
हाजीपुर

RBENo.- 12/15

CPO's Sl. No. 21/15

No. E/74/1/ECR/HSP

dated : 23/3/15

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू0म0रे0, हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी/मुगलसराय, यात्रिक कारखाना/समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
10. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय/Sub: *Rule 5 of Rly. servants (Discipline and appeal) Rules, 1968 - Instructions reg. timely review of suspension.*

संदर्भ/Ref: *Rly. Rds letter No. E(P & A) 2014 R 6-35 dt 18/2/15.*

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।

DA : As above.

(सं. के. चौधरी)
सकाधि/-ESM एवं रुलिंग
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस0सी0/एस0टी0 एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि (एपी/ए) 21/हाजीपुर; कृपया 56 नं. 45 डिपलॉड करने के साथ 2014/15-16 के।
4. महासचिव/ओ. जी. सी. एम. डि. रीजन/पूमरे/हाजीपुर।

22/2/15

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

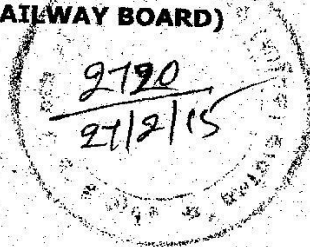
RBE No. 12/2015

TM

No. E(D&A) 2014 RG6-35

The General Manager(P)
All Indian Railways and
Production Units etc.
(As per standard list).

New Delhi, 18.02.2015



Sub: Rule 5 of Railway Servants (Discipline and appeal) Rules, 1968
- Instructions regarding timely review of suspension

.....

Rule 5 of the Railway Servants (Discipline and appeal) Rules, 1968 deals with the provisions of suspension. As per the rule, a Railway servant may be placed under suspension in the following circumstances:

- (a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
- (b) where, in the opinion of the authority competent to place a Railway servant under suspension, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the state; or
- (c) where a case against him in respect of any criminal offence, is under investigation, inquiry or trial.

2. A Disciplinary Authority may also consider it appropriate to place a Railway servant under suspension in the following circumstances. These are only intended for guidance and should not be taken as mandatory:-

- (i) Cases where continuance in office of the Railway servant will prejudice the investigation, trial or any inquiry (e.g. apprehended tampering with witnesses or documents);
- (ii) where the continuance in office of the Railway servant is likely to seriously subvert discipline in the office in which the Railway servant is working;
- (iii) where the continuance in office of the Railway servant will be against the wider public interest [other than those covered by (i) and (ii)] such as there is public scandal and it is necessary to place the Railway servant under suspension to demonstrate the policy of the Government to deal strictly with officers involved in such scandals, particularly corruption;
- (iv) where allegations have been made against the Railway servant and preliminary inquiry has revealed that a prima facie case is made out which would justify his prosecution or his being proceeded against in departmental proceedings, and where the proceedings are likely to end in his conviction and/or dismissal, removal or compulsory retirement from service.

3. In the first three circumstances the Disciplinary Authority may exercise his discretion to place a Railway servant under suspension even when the case is under

Contd..

Ruling

11/2

21/3/15

AP/Gen

2/9

dy CPD/HRO

15/3/2015

Investigation and before a prima facie case has been established. Suspension may be desirable in the circumstances indicated below:-

- (i) any offence or conduct involving moral turpitude;
- (ii) corruption, embezzlement or misappropriation of Government money, possession of disproportionate assets, misuse of official powers for personal gain;
- (iii) serious negligence and dereliction of duty resulting in considerable loss to Railways;
- (iv) desertion of duty;
- (v) refusal or deliberate failure to carry out written orders of superior officers.

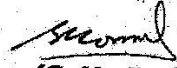
In respect of the types of misdemeanor specified in sub-clauses (iii) to (v) herein above, discretion has to be exercised with care.

4. Rules 5(6) and 5(7) of RS(D&A) Rules, 1968, deal with the review of suspension cases. The provision of review within ninety days is applicable to all types of suspensions. However, in cases of continued detention, the review becomes a mere formality with no consequences as a Railway servant in such a situation has to be continued to be kept under deemed suspension. A review of suspension is not necessary in such cases during this period. Therefore, in all such cases the first review of suspension becomes due on completion of ninety days counting from the date, the Railway servant was released from detention, unless suspension has already been revoked. Subsequent reviews shall become due before completion of currently continuing period of suspension. During each such review, suspension can be extended for a period not exceeding 180 days at a time.

5. It has come to notice that in cases of prolonged suspension period, the courts have pointed out that the suspension cannot be continued for long and that in spite of Railway Board's instructions, the Disciplinary Authorities are not finalizing the disciplinary proceedings within stipulated time. Also, in such cases the Railway is unnecessarily paying subsistence allowance without extracting any work and if, on the culmination of the disciplinary proceedings, the charged officer is exonerated from the charges, the Railway has to unnecessarily pay the full salary and treat the period of suspension as on duty etc. It is therefore, desirable that timely review of suspension is conducted in a just and proper manner and that the disciplinary proceedings are finalized expeditiously.

6. The zonal Railways etc. may bring the existing instructions on timely review of suspension and expeditious completion of disciplinary proceedings to the notice of all concerned.

7. Please acknowledge receipt.


(S. Modi)
Dy. Director Estt. (D&A)
Railway Board

आर बी ई सं.- 12/2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई (डी एण्ड ए) 2014 आर जी 6-35

नई दिल्ली, दिनांक- 18.02.2015

महाप्रबन्धक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम-5 - समय पर निलंबन के पुनर्विलोकन के संबंध में अनुदेश।

रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 का नियम 5 निलंबन के प्रावधानों से संबंधित है। इस नियम के अनुसार, किसी रेल सेवक को निम्नलिखित परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है:

- (क) जहां उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने का विचार हो अथवा लंबित हो, अथवा
- (ख) जहां, रेल सेवक को निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की राय में, वह किसी ऐसे कार्यकलाप में लिप्त हो जो राष्ट्र की सुरक्षा के हित के प्रतिकूल हो, अथवा
- (ग) जहां उसके विरुद्ध किसी दण्डनीय अपराध के मामले में अन्वेषण, जांच-पड़ताल अथवा मुकदमा चल रहा हो।

2. अनुशासनिक प्राधिकारी किसी रेल सेवक को निम्नलिखित परिस्थितियों में भी निलंबित करना उपयुक्त मान सकता है। ये केवल मार्गनिर्देश हैं और इन्हें अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए-

- i) उन मामलों में जहां रेल सेवक के पद पर बने रहने से चल रहे अन्वेषण, मुकदमे अथवा किसी प्रकार की जांच-पड़ताल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो (अर्थात् गवाहों अथवा दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने की आशंका हो) ।
- ii) उन मामलों में जहां रेल सेवक के पद पर बने रहने से उस कार्यालय, जिसमें रेल सेवक कार्य कर रहा हो, का अनुशासन गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना हो।

जासी..

- iii) जहां रेल सेवक का पद पर बना रहना व्यापक जनहित के विरुद्ध हो [(i) और (ii) में शामिल मामलों को छोड़कर] जैसे कि कोई लोकापवाद हुआ हो और ऐसे लोकापवादों, विशेषकर भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने से संबंधित सरकार की नीति को प्रदर्शित करने के लिए रेल सेवक को निलंबित करना आवश्यक हो।
- iv) जहां रेल सेवक के विरुद्ध आरोप लगे हों और प्रारंभिक जांच-पड़ताल से पता चला हो कि प्रथम दृष्टया ऐसा मामला बनता है, जिसमें उस पर मुकदमा चलाए जाने अथवा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का औचित्य बनता हो, और जहां इन कार्यवाहियों के अन्त में उस पर दोष सिद्ध होने और/अथवा उसे सेवा से बर्खास्त किए जाने, हटाये जाने अथवा उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किए जाने की संभावना हो।
3. पहली तीन परिस्थितियों में अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले के अन्वेषणाधीन होने की स्थिति में और प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध होने से पूर्व भी रेल सेवक को निलंबित करने के संबंध में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में निलंबन वांछनीय हो सकता है:
- i) कोई अपराध अथवा ऐसा आचरण जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार हो;
 - ii) भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी अथवा सरकारी धन का गबन, आय से अधिक सम्पत्ति का होना, सरकारी शक्तियों का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करना;
 - iii) झूटी के प्रति गंभीर लापरवाही और कोताही बरतना जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को काफी हानि हुई हो;
 - iv) झूटी का परित्याग करना;
 - v) वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित आदेशों का पालन करने से मना करना अथवा जानबूझकर गलत करना।

उपर्युक्त उपखंड (iii) से (v) में विनिर्दिष्ट प्रकार के दुराचारों के मामले में विवेकाधिकार का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

4. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 5(6) और 5(7) निलंबन के मामलों के पुनर्विलोकन से संबंधित हैं। सभी किस्म के निलंबन के मामलों में नब्बे दिनों के भीतर पुनर्विलोकन करने का प्रावधान है। बहरहाल, लगातार जेल में रहने की स्थिति में पुनर्विलोकन मात्र औपचारिकता हो जाती है जिसका कोई परिणाम नहीं होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में रेल सेवक को

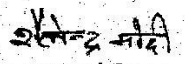
जायी ...

लगातार निलंबनाधीन रखा माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में इस अवधि के दौरान निलंबन का पुनर्विलोकन आवश्यक नहीं है। अतः यदि निलंबन को पहले ही वापस न ले लिया गया है तो ऐसे सभी मामलों में रेल सेवक के जेल से रिहा किए जाने की तारीख से नब्बे दिन पूरे हो जाने पर निलंबन पर पहली बार पुनर्विलोकन किया जाना अपेक्षित है। इसके बाद निलंबन की चालू अवधि पूरी होने से पूर्व उसका पुनर्विलोकन करना अपेक्षित होगा। ऐसे प्रत्येक पुनर्विलोकन के दौरान, निलंबन की अवधि एक समय में 180 दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है।

5. ऐसा देखा गया है कि लम्बी निलंबन की अवधि के मामलों के संबंध में अदालतों ने यह उल्लेख किया है कि निलंबन को लम्बे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता है और रेलवे बोर्ड के अनुदेशों के बावजूद अनुशासनिक प्राधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही को निर्धारित समय के भीतर अंतिम रूप नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में रेलवे कोई काम कराए बिना अनावश्यक रूप से निर्वाह भत्ते का भुगतान करती है और यदि अनुशासनिक कार्यवाही की समाप्ति पर आरोपित अधिकारी आरोपों से मुक्त हो जाता है तो रेलवे को अनावश्यक रूप से पूरे वेतन का भुगतान करना होता है और निलंबन की अवधि को इयूटी आदि मानना होता है। अतः यह वांछनीय है कि निलंबन पर न्यायोचित और उपयुक्त तरीके से समय पर पुनर्विलोकन किया जाए और अनुशासनिक कार्यवाही को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।

6. क्षेत्रीय रेलें आदि निलंबन पर समय पर पुनर्विलोकन करने और अनुशासनिक कार्यवाही को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित विद्यमान अनुदेशों को सर्व संबंधित के ध्यान में लाएं।

7. कृपया पावती दें।


(एस. मोदी)
उपनिदेशक, स्थापना (डी एण्ड ए)
रेलवे बोर्ड